इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 27, शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 20371-मप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019) जो विधान सभा में दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई	(१)	डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी. ए.
	(२)	डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन	डी. जी. एम.
	(३)	डिल्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन	डी. पी. एम.
	(४)	डिप्लोमा इन जनरल सर्जरी	डी. जी. एस.
	(५)	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोलॉजी.	डी. एम. आर. ई.
	(६)	डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन	डी. ई. एम. ई.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों की कमी है. विशिष्ट चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये, राज्य सरकार ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई के साथ एक करार निष्पादित किया है, जिससे कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन में उनके डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकें. अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २७ नवम्बर, २०१९.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 05/10/2018

क्रमांक एफ 12-12/2018/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सेवारत एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारियों के लिये कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, मुंबई (सी.पी.एस.) के माध्यम से डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गये है :-

1. प्रदेश के चिकित्सालयों में स्त्रीरोग (डी.जी.ओ.), शिशुरोग (डी.सी.एच.) निश्चेतना (डी.ए.), जनरल मेडिसिन (डी.जी.एम.), साइकोलॉजिकल मेडिसिन (डी.पी.एम.), पैथालॉजी एवं बैक्टिरियोंलॉजी (डी.पी.बी.), जनरल सर्जरी (डी.जी.एस.), मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी (डी.एम.आर.ई.) एवं इमरजेंसी मेडिसिन (डी.ई.एम.ई.) में सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
2. सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पी.जी. डिप्लोमा के समतुल्य माना जायेगा एवं सी.पी.एस. डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को पी.जी. डिप्लोमा के तहत मिलने वाले समस्त लाभ की पात्रता होगी तथा विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति हेतु भी सी.पी.एस. डिप्लोमा को मान्य किया जावे ।
3. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद के एक्ट में उपरोक्त उल्लेखित विधाओं में सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में आवश्यक संशोधन किया जावे ।
4. जिला चिकित्सालयों को डी.एन.बी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये प्रयास किया जावे । डी.एन.बी. करने वाले नियमित चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगा एवं इन्हे इसके तहत समस्त लाभ की पात्रता होगी तथा विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति हेतु भी डी.एन.बी. को मान्य किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 12-12/2018/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 05/10/2018

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (**आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावे**)।
8. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
11. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

12. आर्डर फाईल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग